Signature 20-8-19

* ई-मेल
स्पीड पोस्ट/निबंधित डाक

पत्रांक–2ब०/जला०–01–05/2019 64 /न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

* अनौपचारिक रूप से परामर्शित

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

*द्वारा–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक–21/08/19

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2019–20 नगर निगम, गया में भीषण गर्मी के कारण उत्पन्न पेयजल समस्या के निदान हेतु नगर निगम, गया में 40 DT बोरिंग एवं 20 GPT बोरिंग के साथ सबमर्सिबल पम्प एवं सामुदायिक स्टैंड पोस्ट अधिष्ठापित करने हेतु आपदा एवं प्रबंधन विभाग द्वारा कर्णाकित राशि ₹170.88 लाख (एक करोड़ सत्तर लाख अठासी हजार रु०) मात्र की निकासी की स्वीकृति।**

आदेशः– **स्वीकृत।**

राज्य के कतिपय नगर निकायों में उत्पन्न पेयजल की समस्या तथा आम नागरिकों को हो रही कठिनाईयों के निदान हेतु नगर आयुक्त, नगर निगम, गया के पत्रांक– 1209, दिनांक– 18.06.2019 के आलोक में गया नगर निगम द्वारा गया शहर की भौगोलिक स्थिति के कारण विभाग द्वारा तैयार किये गये मॉडल प्राक्कलन में आंशिक संशोधन करते हुए तैयार किये गये प्राक्कलन में प्रति GPT बोरिंग के साथ सबमर्सिबल पम्प एवं सामुदायिक स्टैंड पोस्ट हेतु प्राक्कलित राशि ₹3.50 लाख कुल 40 DT बोरिंग हेतु ₹100.88000 लाख एवं प्रति GPT बोरिंग के साथ सबमर्सिबल पम्प एवं सामुदायिक स्टैंड पोस्ट हेतु प्राक्कलित राशि ₹2.522 लाख कुल 20 GPT बोरिंग हेतु ₹70.00000 लाख अर्थात् दो योजनाओं के लिए समेकित रूप से ₹170.88 लाख के व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति विभागीय पत्रांक– 3355, दिनांक– 04.07.2019 द्वारा दी जा चुकी है।

2. उक्त के आलोक में स्वीकृत प्रशासनिक स्वीकृति की राशि ₹170.88 लाख (एक करोड़ सत्तर लाख अठासी हजार रु०) की माँग विभागीय पत्रांक– 3431, दिनांक– 08.07.2019 के द्वारा प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग से किया गया था। चूँकि आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा आहूत CMG की बैठक में यह आश्वासन दिया गया था कि भीषण गर्मी से उत्पन्न पेयजल संकट से सामना करने हेतु आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार द्वारा प्रभावित शहरों के लिए धन राशि उपलब्ध करायी जाएगी। तदालोक में आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा गया नगर निगम के लिए ₹170.88 लाख (एक करोड़ सत्तर लाख अठासी हजार रु०) मात्र की धन राशि नगर विकास एवं आवास विभाग को Online के माध्यम से कर्णांकित किया गया है। आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार के CFMS

प्रतिवेदन आदेश सं०– 3672, दिनांक– 31.07.2019 (अनु० संलग्न) से प्राप्त धन राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2019–20 में नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा किया जाना है।

3. उक्त के आलोक में निदेशानुसार वित्तीय वर्ष 2019–20 में नगर निगम, गया में 40 DT बोरिंग एवं 20 GPT बोरिंग के साथ सबमर्सिबल पम्प एवं सामुदायिक स्टैंड पोस्ट अधिष्ठापित करने हेतु ₹170.88 लाख (एक करोड़ सत्तर लाख अठासी हजार रु०) मात्र के योजना की प्रशासनिक स्वीकृति पर निम्नवत् राशि आवंटित की जाती है :–

(राशि लाख में)

नगर निकाय का नाम	योजना का नाम	मॉडल प्राक्कलन के अनुरूप प्रति इकाई दर	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	आवंटित की जाने वाली राशि
नगर निगम, गया	नगर निगम, गया में 40 DT बोरिंग के साथ सबमर्सिबल पम्प एवं सामुदायिक स्टैंड पोस्ट का अधिष्ठापन कार्य।	2.52200	100.88000	100.88000
	नगर निगम, गया में 20 GPT बोरिंग के साथ सबमर्सिबल पम्प एवं सामुदायिक स्टैंड पोस्ट का अधिष्ठापन कार्य।	3.50000	70.00000	70.00000
		कुल योग	**170.88000**	**170.88000**

4. आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार से प्राप्त उक्त स्वीकृत ₹170.88 लाख (एक करोड़ सत्तर लाख अठासी हजार रु०) मात्र की **निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग होंगे,** जिनके द्वारा उक्त राशि की निकासी बिहार कोषागार संहिता 2011 के संगत प्रावधानों के आलोक में की जाएगी। राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं०–2561, दिनांक– 17.04.98, पत्रांक– 256, दिनांक– 26.02.2019, पत्रांक– 732, दिनांक– 31.07.2019 एवं पत्रांक– 687, दिनांक– 19.07.2019 में निहित अनुदेशों के आलोक में वित्तीय वर्ष 2019–20 में संबंधित कोषागार से की जायेगी। प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा राशि नगर निगम, गया के PL खाता में CFMS के माध्यम से Inter Departmental विधि से Online हस्तांतरित किया जाएगा।

5. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या– 1496/वि(2), दिनांक– 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर कोषागार में प्रस्तुत किया जाएगा। राशि के भुगतान के पश्चात् विभागीय पत्रांक–61, दिनांक– 11.01.2019 के आलोक में उपयोगिता प्रमाण पत्र BTC-42A फॉर्म में तैयार कर रोकड़ बही की संबंधित पृष्ठ की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करायी जाएगी, जिसे प्रति हस्ताक्षरित कर आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार को प्रेषित किया जायेगा।

6. वित्त विभाग के संकल्प सं०– 573, दिनांक– 16.01.1975 एवं एम 04–15/2009–9736, दिनांक–19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड़) के अनुसार "सहायता अनुदान की राशि का उपायोगिता प्रमाण–पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।"

7.	योजना के कार्यान्वयन का त्रैमासिक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त राशि का व्यय स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन पर ही किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में उक्त राशि का विचलन कर किसी अन्य मदों में खर्च नहीं किया जायेगा।

8.	उक्त स्वीकृत राशि ₹170.88 लाख (एक करोड़ सत्तर लाख अठासी हजार रु०) मात्र की निकासी आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के संचिका सं०– 1/pra-aa-0-3-30/2019(Part-), Order No.- 3672, Date- 31.07.2019, Subject- Allotment for Drought in Gaya. में दिये गये विवरण, जिसका मांग संख्या–39 आपदा प्रबंध विभाग (Disaster Management Dept.) के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 2245–Relief on account of Natural Calamities – उप मुख्य शीर्ष –01–सूखा (Drought)–लघु शीर्ष–282– लोक स्वास्थ्य (Public Health) –उप शीर्ष 0002–NA, **विपत्र कोड– 39-2245-01-282-0002-NA** के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 में की जाएगी।

9.	उक्त योजना का कार्यान्वयन नगर निगम, गया द्वारा कराया जाएगा। योजना का क्रियान्वयन विभागीय पत्रांक–3355, दिनांक– 04.07.2019 में दिये गये प्रशासनिक स्वीकृति के शर्तों के अंतर्गत किया जाएगा।

10.	वित्त विभाग के परिपत्र सं0–7355 वि(2) दिनांक–05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

11.	आंतरिक वित्तीय सलाहकार/सहायक आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या 2ब/जला०–01–05/2019 के पृष्ठ सं०– 08/टि० पर दिनांक– 20.8.19 को प्राप्त है एवं सक्षम प्रधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०– 09/टि० पर दिनांक– 20.8.19 को प्राप्त है ।

12.	भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

13.	इसकी सूचना प्रधान सचिव, आपदा प्रबंध विभाग, बिहार, पटना/प्रमण्डलीय आयुक्त, मगध प्रमंडल/जिला पदाधिकारी, गया/नगर आयुक्त, नगर निगम, गया/संबंधित कोषागार पदाधिकारी तथा अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

21.08.19

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–2ब/जला०–01–05/2019 64 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक– 21/08/19

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना/प्रमण्डलीय आयुक्त, मगध प्रमंडल/जिला पदाधिकारी, गया/नगर आयुक्त, नगर निगम, गया/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/विभागीय प्रधान सचिव के आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/नोडल पदाधिकारी (नल–जल निश्चय योजना)/प्रशाखा पदाधिकारी–2, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई0टी0 प्रबंधक को वेवासाईट पर अपलोड करने एवं सभी संबंधित को ई०मेल करने हेतु/प्रबंधक, एम0आई0एस0 को योजनाओं के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु/कार्यवाह सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (05 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.08.19

सरकार के विशेष सचिव।